प्रश्न सं. [क्र. 1966]

परिशिष्ट 'अ'

(विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1966, प्रश्नांश क, ख एवं ग के संबंध में)

निर्माण एजेन्सी: भोपाल विकास प्राधिकरण

क्र.	महाविद्यालय का नाम जहां भवन निर्माण कार्य चल रहा है	प्रगतिरत निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	निविदा राशि/दर	निर्माण एजेन्सी द्वारा जिस कंपनी या ठेकेदार को काम दिया गया है उसका नाम, पता	निर्माण एजेन्सी के जिस इंजीनियर के प्रभार में निर्माण कार्य आता है उसका नाम एवं पदनाम	कंपनी या ठेकेदार का निर्माण कार्य स्थल का पता एवं मुख्य कार्यालय का पता (निविदा की शर्तों के अनुसार	निर्माण एजेन्सी के जिस इंजीनियर के प्रभार में यह निर्माण कार्य आता है उनका कार्यस्थल एवं निवास	निर्माण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने एवं इसकी देखरेख के संबंध में निर्माण एजेन्सी की निर्धारित प्रक्रिया	अगर भवन खराब बना और दीवालों में क्रेक्स या अन्य खराबी आयी तो इसमें कौन-कौन दोषी माना जावेगी और क्या-क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही होगी?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शासकीय अवंती बाई कन्या महाविद्यालय टीकमगढ़	06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	353.09 लाख	299.23 लाख	मे. भगवानदास अग्रवाल 88 बसस्टैण्ड नरसल्लागंज सीहोर	1. श्री राजेश पुष्प कार्यपालन यंत्री 2. श्री ए पी पाण्डे सहायक यंत्री 3. श्री राकेश जैन उपयंत्री भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल	ठेकेदार के जिन इंजीनियर्स द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनका गृह जिला टीकमगढ है उनके नाम एवं पते निम्नानुसार हैं 1. श्री रवीन्द्र मनोहरे 2. श्री बलराम एवं 3. श्री सूरज यादव टीकमगढ़ कार्यालय का पता: शिव मंदिर के पास, चौथी गली, महावीर रेसीडेंसी, झांसी रोड टीकमगढ़	कॉलम 7 में दर्शाए गए अधिकारियों का कार्य स्थल: संभाग क्रमांक 03 भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल है एवं निवास भोपाल है।	समस्त इंजीनियर टीम एवं शासन स्तर से भी प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर कार्यों का सतत् निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्वक कार्य संपादित कराये जा रहा है। कार्य में प्रयुक्त मटेरियल का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप एन.ए.बी. एल. / स्थल प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत कार्य में उपयोग किया गया है।	यदि भवन में क्रेक्स या अन्य खराबी आती है तो अनुबंध के अनुरूप ठेकेदार से कार्य में सुधार करवाए जाने का प्रावधान है अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्राधिकरण में जमा की गई सुरक्षा निधि से कार्य कराया जा कर उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से किए जाने का प्रावधान है।
2	शासकीय महाविद्यालय जतारा टीकमगढ़	06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	353.09 लाख	299.23 लाख						
3	शासकीय महाविद्यालय लिधौरा, टीकमगढ़	नवीन भवन का निर्माण	617.82 लाख	523.58 लाख						
4	शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़	नवीन भवन का निर्माण (भोपाल विकास प्राधिकरण)	617.82 लाख	523.58 लाख						

अवर सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट 'ब'

(विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1966, प्रश्नांश क, ख एवं ग के संबंध में)

निर्माण एजेन्सी: पी डब्लू डी - पीआईयू

क्र.	महाविद्यालय का नामजहां भवन निर्माण कार्य चल रहा है	प्रगतिरत निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि	निविदा राशि/दर	निर्माण एजेन्सी द्वारा जिस कंपनी या ठेकेदार को काम दिया गया है उसका नाम, पता	निर्माण एजेन्सी के जिस इंजीनियर के प्रभार में निर्माण कार्य आता है उसका नाम एवं पदनाम	कंपनी या ठेकेदार का निर्माण कार्य स्थल का पता एवं मुख्य कार्यालय का पता (निविदा की शर्तों के अनुसार	निर्माण एजेन्सी के जिस इंजीनियर के प्रभार में यह निर्माण कार्य आता है उनका कार्यस्थल एवं एवं निवास	निर्माण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने एवं इसकी देखरेख के संबंध में निर्माण एजेन्सी की निर्धारित प्रक्रिया	अगर भवन खराब बना और दीवालों में क्रेक्स या अन्य खराबी आयी तो इसमें कौन-कौन दोषी माना जावेगी और क्या-क्या उनके विरूध्द कार्यवाही होगी?
1	नवीन शासकीय महाविद्यालय बल्देवगढ़	नवीन भवन का निर्माण	617.82 लाख	560.68 लाख	मे. डिवाईन इंफ्रस्ट्रक्चर कम्पनी	1) सहायक यंत्री श्री राजेश कुमार पाठक कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन लोक निर्माण विभाग जिला टीकमगढ़) 2) उप यंत्री रामकृष्ण अरजरिया कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन लोक निर्माण विभाग जिला टीकमगढ़)	इन्द्रपुरी कॉलोनी फेज-किड्जी-2 स्कूल के पास टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	कार्य स्थल: कूँवरपुरा मंडीरोड़ टीकमगढ़ निवास: 1) गृह जिला टीकमगढ़ (निर्माण स्थल पर अस्थाई तौर पर अपना निवास बना रखा है)। 2) गृह जिला छतरपुर वर्तमान निवास-चकरा रोड़ टीकमगढ़	संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्माण स्थल पर स्थापित लेब एवं एन.ए.बी. एल. में सामग्री परीक्षण करने के उपरांत मानक अनुसार पाये जाने पर निर्माण कार्य में सामग्री का उपयोग होता है। जिसकी जांच कंसल्टेट एवं कार्य पर पदस्थ फील्ड अधिकारियों द्वारा कराई जाती है। सामग्री परीक्षण की टेस्ट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाती है।	उक्त निर्माण कार्य की देख रेख एवं सुपरविजन कार्य कंसल्टेट के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सौ प्रतिशत जवाबदारी बनी रहती है। जिसका निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत में किया जाता है। वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। यदि कार्य की गुणवत्ता में कभी कमी आती है तो कंसल्टेंसी पर कार्यवाही करते हुए उनके देयकों से वसूली की जाती है एवं सहा.यंत्री एवं उपयंत्री को भी दोषी मानते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया जाता है।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
उच्च शिक्षा विभाग